न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–02 / 2016

कारु कुमार सिंह वगैरह.....वादीगण

बनाम

शकुन्ती देवी वगैरह.....प्रतिवादीगण

18.07.24 अभिलेख आज वादी की ओर से प्रदर्श करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–23.09.2023 तथा उसके तत्संबंधित प्रत्युत्तर दिनांक–25.01.2024 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद में वादी साक्षी सं0–06 रामभजन सिंह का एकपक्षीय साक्ष्य हुआ था जिसके दौरान कुछ दस्तावेज होमगार्ड कमांडर द्वारा निर्गत ज्ञांक सं0–646 / 50, दिनांक–19.02.970 के लेटर को प्रदर्श–3 एवं लेटर दिनांक–15.04.1970 एवं 12.02.1971 को प्रदर्श–4 एवं 4 / ए अंकित कराया गया तथा जब वादी का साक्ष्य बन्द होना था तब प्रतिवादी सं0–3 ता 5 उपस्थत हुए जिसके पश्चात् न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय साक्ष्य हेतु आदेश वापस लेते हुए सभी गवाहों का साक्ष्य कराया गया, परन्तु साक्षी सं0–6 रामभजन सिंह का साक्ष्य नहीं हुआ। साक्षी सं0–6 रामभजन सिंह दो वर्ष से गंभीर बीमारी से ग्रसित है एवं बेड–रेस्ट में रहने के कारण बोलने एवं सुनने में असमर्थ है जिसका साक्ष्य कराया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी पस्थिति में उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तथा चूँकि उपरोक्त आवेदन में वर्णित कागजात वाद–विषय से संबंधित एवं लोक दस्तावेज है जिसे साक्ष्य के रूप में ग्रहण करते हुए प्रदर्श अंकित किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि बतौर लोक दस्तावेज प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाए।

उपरोक्त आवेदन के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि उपरोक्त आवेदन वादी को दाखिल करने का कोई हक वो कारण नहीं है तथा आवेदन जिस बयान के तहत दाखिल किया गया है वह खारिज होने योग्य है। आवेदन में जिस कागजातों का विवरण दिया गया है वह जाली–फरेबी तथा गजेन्द्र सिंह वादीगण के बहुत दूर के फरीक हैं एवं ये रामस्वरुप सिंह के खानदान के नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कार्यालय बिहार सरकार होमगार्ड मुजफ्फरपुर के कमांडर द्वारा निर्गत पत्र को रामस्वरुप सिंह को प्रेषित कर वादीगण के पास होना अपने आप में हास्यास्पद है। वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त कागजात जाली–फरेबी एवं बनावटी है जो कानूनन प्रदर्श अंकित नहीं किया जा सकता है। अतः वादी का उपरोक्त आवेदन को खर्चा सहित खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादी साक्ष्य हेतु लंबे समय से चला आ रह है। उपरोक्त दस्तावेज सबूत सूचि के साथ दाखिल किया गया है जो मूल कागजात है एवं जो पूर्व में साक्षी सं0–6 रामभजन के प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रदर्श–3, 4 एवं 4 / ए के रूप में अंकित किया गया है। अभिलेख वर्तमान में वादी साक्ष्य हेतु लंबित है, परन्तु पूर्व में दाखिल दस्तावेज जो प्रदर्श किया जा चुका है, उसे पुनः साक्षी सं0–6 का प्रतिपरीक्षण कर प्रदर्श अंकित किया जाना न्याहित में उचित प्रतीत नहीं होता है तथा पुनः साक्षी सं0–6 जिसका प्रतिपरीक्षण हो चुका है, उसका प्रतिपरीक्षण कर दस्तावेज को प्रदर्श अंकित करना वाद को लंबित रखने का आशय रखता है। तद्नुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन खारिज किया जाता है तथा वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे अगली निश्चित तिथि के दूसरे साक्षी का साक्ष्य देने हेतु प्रस्तुत करें।

वाद दिनांक– 19.09.2024 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।